भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2633

11 दिसंबर, 2024 को उत्तर देने के लिए

राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन अधिनियम

†2633. श्री शफी परम्बिल:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य और इसके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन और इसके संचालन के लिए वित्तपोषण का स्रोत क्या है; और

(ग) कार्यक्रम के तहत विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं के लिए अब तक कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) संसद के अधिनियम, अर्थात् अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 (2023 का 25) के माध्यम से स्थापित अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान (एएनआरएफ) का उद्देश्य अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) को प्रारंभ करना, विकसित और संवर्धित करना तथा भारत के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, और आर एंड डी प्रयोगशालाओं के माध्यम से अनुसंधान और नवोन्मेष की संस्कृति को प्रोत्साहित करना है। एएनआरएफ देश में वैज्ञानिक अनुसंधान को उच्च स्तरीय युक्तिपूर्ण निर्देशन प्रदान करने वाले शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। उक्त अधिनियम के उपबंधों को 5 फरवरी, 2024 को प्रवृत किया गया है और कई कार्यक्रम एएनआरएफ को प्रचालित करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप शुरू किए गए हैं।

(ख) से (ग): एएनआरएफ लिए ऐसा उपबंध किया गया है कि वह अनुदान और ऋण के जरिए केंद्र सरकार से धन; सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों, निजी क्षेत्र, परोपकारी संगठनों, फाउंडेशनों या अनुसंधान एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय निकायों से दान; एएनआरएफ को प्रदत्त राशि से की गई वसूली; एएनआरएफ द्वारा प्राप्त राशि के निवेश से होने वाली आय और निरसित विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान कोष में से सारी राशि प्राप्त करे। एएनआरएफ और इसका निधीयन तंत्र गवर्निंग बोर्ड (जीबी) और कार्य परिषद (ईसी) के माध्यम से प्रचालित किए जाते हैं। जीबी उच्च स्तरीय युक्तिपूर्ण निर्देशन प्रदान करता है और एएनआरएफ के उद्देश्यों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करता है और ईसी को इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने का काम सौंपा गया है। एएनआरएफ को हाल ही में प्रचालित किया गया है और 2000 करोड़ रुपये का बजटीय आबंटन बजट अनुमान 2024-25 के लिए किया गया है।

*****